

न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर

जिला –बालाघाट, (म.प्र.)

आपराधिक प्रकरण क्र. 1019 / 2014

संस्थित दिनांक-03.11.2014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-मलाजखंड

जिला-बालाघाट (म0प्र0)

— — — — — अभियोजन

// विरुद्ध //

1. दिनेश पिता छन्नूलाल, उम्र 24 साल,
 2. संतलाल पिता धनष, उम्र 24 साल,
 3. राजू पिता अंकालू, उम्र 25 साल,
 4. राजू बागडे पिता बिसनलाल, उम्र 22 साल,
- सभी निवासी सीताटोला, थाना मलाजखंड,
जिला बालाघाट म.प्र.

— — — — — आरोपीगण

—निर्णय

(आज दिनांक 03.11.2014 को घोषित)

निष्कर्ष

अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध हेतु पूर्व दोषसिद्धि का प्रमाण नहीं है। अभियुक्तगण की स्वेच्छया एवं स्पष्ट अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर उन्हें धारा 13 जुआ एक्ट के आरोप में दोषसिद्ध ठहराया जाता है। प्रकरण की परिस्थितियों में अभियुक्तगण को परीविक्षा प्रावधान का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

दण्डादेश या अन्य अंतिम आदेश

दंड के प्रश्न पर विचार किया गया। अपराध की प्रकृति, प्रकरण की परिस्थितियों में अभियुक्तगण को प्रमाणित अपराध के लिए धारा 13 सार्व धूत अधिनियम के आरोप में दोषसिद्धि कर 100-100/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदंड अदायगी में व्यतिक्रम पर अभियुक्तगण को 2-2 दिन का साधारण कारावास भुगताया जावे।

जप्तशुदा रूपये 550 /— (पांच सौ पचास रूपये) राजसात किये जावे
तथा जप्तशुदा तास के पत्ते विधिवत् नष्ट किये जावे।

बैहर
दिनांक—03.11.2014

(सिराज अली)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, जिला—बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)